इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 413] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 अगस्त 2017—श्रावण 10, शक 1939

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 अगस्त, 2017

सूचना

क्रमांक एफ 01–3–2008–बाईस–पं.–2–मध्यप्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2008 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उप–धारा (1) के साथ पठित धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उप–धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश राजपत्र में, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर, उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,–

1. नियम 5 में, उप–नियम (2) में, खण्ड 1 के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"1. अध्यापक संवर्ग में ऐसे संविदा शाला शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे जिन्होंने संविदा नियुक्ति कालावधि के तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हों तथा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संनियमों के अनुसार पात्र पाए गए हों तथा अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति हेतु पात्रता पर विचार करने के लिए गठित छानबीन समिति द्वारा निर्धारित किए गए हों।"।

2. नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"**6. पदोन्नति**–अध्यापक संवर्ग में पदोन्नति के संनियम राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे। अनुसूची–चार में विर्निदिष्ट किए गए अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से पदोन्नति पर नियुक्ति की जाएगी। वेतन निर्धारण इस निमित्त बनाए गए पंचायत विभाग के नियमों के अनुसार किया जाएगा।"।

3. नियम 8 में, खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:–

"(छ) राज्य सरकार द्वारा शालाओं में उपस्थिति दर्ज कराने तथा ड्रेस कोड के संबंध में जो भी अनुदेश समय–समय पर जारी किए जाएं, वे इन नियमों के अधीन नियोजित या संविलियित किए गए किसी व्यक्ति पर बाध्यकारी होंगे।

(ज) इन नियमों के अधीन नियोजित या संविलियित किए गए व्यक्ति, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का सं. 35) की धारा 24 में यथा विहित कर्तव्यों का पालन करेगे, अर्थात्:–

(एक) विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन;

(दो) पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना;

(तीन) विर्निदिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना;

(चार) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, जोड़ना;

(पांच) माता–पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षण ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना; और

(छह) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएं।

(झ) इन नियमों के अधीन नियोजित एवं संविलियित किए गए व्यक्ति के कार्य निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार किया जाएगा।"।

4. अनुसूची–चार में,–

(1) अनुक्रमांक–1 के सामने, कॉलम (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

"संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण–प्रशिक्षण उपाधि/डिप्लोमा तथा धारित पद पर सात वर्ष का अनुभव तथा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संनियमों तथा प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त पाया जाना।"।

(2) अनुक्रमांक–1 के सामने, कॉलम (4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:–

"संबंधित विषय में स्नातक उपाधि या समकक्ष एवं शिक्षण–प्रशिक्षण उपाधि/डिप्लोमा तथा धारित पद पर सात वर्ष का अनुभव तथा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट संनियमों तथा प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त पाया जाना।"।

NOTICE

No.F.01-3-2008-22-P-2.- The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Panchayat Adhyapak Samvarg (Employment and Conditions of Services) Rules, 2008, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 53 read with sub-section (1) of section 95 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is, hereby, published as required by sub-section (3) of section 95 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is, hereby, given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 5, in sub-rule (2), for clause 1, the following clause shall be substituted, namely :-

"1. In the Adhyapak Samvarg such Samvida Shala Shikshak shall be appointed who has completed three years contract appointment period and have been found eligible as per the norms specified by the State government and fixed by the scrutiny committee constituted to consider the eligibility for appointment in Adhyapak Samvarg.".

2. For rule 6, the following rule shall be substituted, namely :-

"6. Promotion.- The norms for promotion in Adhyapak Samvarg shall be specified by the State government. Appointment on promotion shall be made through Departmental Promotion Committee constituted as specified in Schedule-IV. Fixation of the pay shall be as per the rules of the Panchayat Department made in this behalf.".

3. In rule 8, after clause (f), the following clauses shall be added, namely :-

"(g) The instructions issued by the State Government from time to time regarding recording of attendance in schools and dress code shall be binding for the person who is appointed or merged under these rules.

(h) The person who is appointed or merged under these rules shall perform the following duties as prescribed in section 24 of the Right

of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), namely :-

(i) Maintain regularity and punctuality in attending school;

(ii) Conduct and complete the curriculum;

(iii) Complete entire curriculum within the specified time;

(iv) assess the learning ability of each child and according, supplement additional instructions, if any, as required;

(v) hold regular meetings with parents and guardians and apprise them about the regularity in attendance, ability to learn, progress made in learning and any other relevant information about the child; and

(vi) perform such other duties as may be prescribed.

(i) The annual work performance appraisal of a person who is appointed or merged under this rules shall be as may be notified by the State Government in this behalf.".

4. In Schedule-IV,-

(1) in column (4), against serial number 1, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"Master's degree in concerned subject or equivalent and Teaching Training Degree/Diploma and minimum seven years experience on the post held and found suitable as per norms and procedure specified by the State Government in this regard.".

(2) in column (4), against serial number 1, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"Bachelor degree in concerned subject or equivalent and Teaching Training Degree/Diploma and minimum seven years experience on the post held and found suitable as per norms and procedure specified by the State Government in this regard.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एस. आर. चौधरी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.